"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक 8241/डी. 261/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 3 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यतः, राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 कहलायेगा.

(2) यह 31 अगस्त, 2013 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20 सन् 1981) का अस्थाई संशोधन.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20 सन् 1981) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए, प्रभावशील होगा.

धारा 5 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) तथा उसके परन्तुक में, शब्द 'साठ' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द 'बासठ' प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्रमांक 8241/डी. 261/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2013)

CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SACHIVALAY SEVA (AMENDMENT) ORDINANCE, 2013

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalay Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh, in the Sixty-fourth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalay Seva (Amendment) Ordinance, 2013.

(2) It shall come into force from the 31st day of August, 2013.

The Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalay Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sachivalay Seva Adhiniyam, 1981 (No. 20 of 1981) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3 of this Ordinance.

Amendment of Section 5.

3. In sub-section (1) of Section 5 and its proviso in Principal Act for the word 'sixty', wherever it occurs, the word 'sixty two' shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-- 2013.